


15-6-18

पडावली राजस्व लोक अशाहत न्याय आप  
के इर कोर्ट केम्प वापसास में पेश  
हुई। पूर्व में दिनांक 23.6.2015 से  
जारी अस्वारि ~~विशेषाज्ञाप~~ निषेधाज्ञा को  
सूछ वाड के निस्ताण होने तक  
स्वारि की जारी है

अतः पडावली के शर शुभार  
होकर नम्बर से कम हो तथा पडावली  
सूछ वाड के स्थाय सलग करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा